



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 भाद्र 1940 (श10)

(सं0 पटना 868) पटना, वृहस्पतिवार, 20 सितम्बर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

20 सितम्बर 2018

एस0ओ0 243, दिनांक 20 सितम्बर 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर, जो अभिकर्ता नहीं है, जहाँ ऐसे प्रदायों के सम्बंध में प्रतिफल का संग्रहण उक्त ऑपरेटर द्वारा किया जाता है, अन्य प्रदायकर्ताओं द्वारा उसके माध्यम से किये गए अंतरा-राज्यिक कराधेय प्रदायों के शुद्ध मूल्य के आधे प्रतिशत की दर पर रकम संग्रहीत करेगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3)2814)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

20 सितम्बर 2018

एस० ओ० 243 दिनांक 20 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3)2814)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 20th September 2018

S.O. 243, Dated 20th September 2018—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies that every electronic commerce operator, not being an agent, shall collect an amount calculated at a rate of half per cent. of the net value of intra-State taxable supplies made through it by other suppliers where the consideration with respect to such supplies is to be collected by the said operator.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-3)2814)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 868-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>